इलाहाबाद विकास प्राधिकरण, इलाहाबाद

प्रेस विज्ञप्ति

मा0 उच्च न्यायालय के आदेशानुपालन में इलाहाबाद विकास प्राधिकरण/नगर निगम/प्रशासन के द्वारा अतिक्रमणों के विरूद्ध चलाये जा रहे संयुक्त अभियान के क्रम में आज दिनांक 13/07/2017 को नैनी इलाहाबाद–रीवा राष्ट्रीय राजमार्ग के दाहिने किनारे स्थित अतिक्रमणों को हटवाया गया। उक्त कार्यवाही में 75 टीन शेड, 25 रैम्प, 50 दीवारे,व चबूचरा, 05 सड़क पटरी पर बनाये बाड़, 10 अस्थाई चाय नास्ते के होटल व भट्ठियॉ, तथा 06 गुमटियाँ हटायी गयी। उक्त कार्यवाही में विशेष कार्याधिकारी श्री आलोक कुमार पाण्डेय, एस0डी0एम0 करछना श्री विनय कुमार सिंह सी0ओ0 करछना श्री अमित कुमार श्रीवास्तव, इंस्पेक्टर नैनी/औद्योगिक क्षेत्र सहित थाने की पुलिस,पी0ए0सी0 तथा प्राधिकरण व नगर निगम प्रवर्तन दल/पुलिस बल उपस्थित रहें। आज की कार्यवाही के दौरान महेवा क्षेत्र में अतिक्रमण हटाये जाने का विरोध करते हुए लोगों द्वारा ईट व पत्थर चलाये गये जिससे कतिपय नगर निगम, प्राधिकरण के कर्मचारी व पुलिस–पी0ए0सी0 के जवानो को हल्कीपुल्की चोटें आयी किन्तु बल प्रयोग करते हुए स्थिति सामान्य बनाते हुए अवशेष अतिक्रमणों को हटाया गया। विभिन्न क्षेत्रों में निरन्तर अतिक्रमणों को हटाये जाने की कार्यवाही जारी रहेगी इसी क्रम में दिनांक 14 व 15 जुलाई को फाफामऊ क्षेत्र में कार्यवाही की जायेगी।

इसी क्रम में अनाधिकृत निर्माणों के विरूद्ध की गयी कार्यवाही निम्नवत है–

जोन संख्या–01 में जोनल अधिकारी श्री आलोक कुमार पाण्डेय के नेतृत्व में 02 चालान, 03 नोटिस एवं 01 शमन मानचित्र दाखिल किया गया।

जोन संख्या–05 में जोनल अधिकारी श्री पी0एन0यादव के नेतृत्व में 01 चालान, 01 नोटिस की कार्यवाही की गयी।

इस प्रकार कुल 03 चालान 04 नोटिस निर्गत की गयी। एवं 01 शमन मानचित्र दाखिल किया गया।

उक्त कार्यवाही में जोनल अधिकारियों के अतिरिक्त क्षेत्रीय अवर अभियन्ता/क्षेत्रीय भवन निरीक्षक एडीए प्रवर्तन दल एवं पुलिस बल उपस्थित रहे।

(पी0एन0यादव)
प्रभारी अधिकारी जनसम्पर्क
इलाहाबाद विकास प्राधिकरण
इलाहाबाद,

प्रतिलिपि : सम्पादक– समस्त दैनिक समाचार पत्रों को इस आशय के साथ प्रेषित है कि उक्त विज्ञप्ति को अपने सम्मानित समाचार पत्र में निःशुल्क प्रकाशित करने का कष्ट करें।

13.07.17
प्रभारी अधिकारी जनसम्पर्क